04

संख्या– /XXVIII–5–2013–08 / 2006

प्रेषक,

धमेन्द्र पयाल,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 28 मार्च, 2013

विषयः **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोचर, जनपद चमोली के निर्माण कार्यो के पुनरीक्षण आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा पुनर्विनियोजन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–5प / 8 / 3 / 2012–13 / 5320, दिनांक 19.03.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत 03–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) मद में धनराशि कम पड़ने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोचर, जनपद चमोली के अवशेष निर्माण कार्यो हेतु गठित पुनरीक्षित प्राक्कलन ₹325.68 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित प्राक्कलन की धनराशि ₹299.44 लाख (सिविल कार्यो हेतु ₹297.51 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹1.93 लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष सम्पूर्ण अवशेष ₹67.73 लाख अवमुक्त किये जाने हेतु ₹3.32 लाख संगत योजनान्तर्गत बजट प्राविधान के सापेक्ष तथा ₹64.41 लाख (रूपया चौंसठ लाख इकतालीस हजार) मात्र की व्यवस्था संगत मद में संलग्न बी0एम0 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोजन के माध्यम से स्वीकृत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) पुनर्विनियोजित की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है। धनराशि का आहरण / वितरण संबंधित वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत एवं शासन द्वारा मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोजित की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193 / XXVII(1) / 2012, दिनांक 30.03.2012 एवं शासनादेश सं0–183 / XXVII(1) / 2012 दिनांक 28.03.2012 में निहित निर्देशाों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) शेष शर्ते कार्य हेतु पूर्व निर्गत स्वीकृति विषयक शासनादेशों के अनुसार रहेंगी। धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित करने से पूर्व उक्त कार्य के लिए कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के शासनादेश सं0–475 / XXVII(7) / 2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य कर लिया जायेगा। कार्य को प्रत्येक दशा में निर्धारित समयसारिणी के अनुसार पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत करा लिया जायेगा। किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा एवं विलम्ब के लिए संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(4) कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था के माध्यम से कराने हेतु नियोजन विभाग से समन्वय कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–12 के संलग्न बी0एम0–9 के कॉलम 5 में अंकित विवरणानुसार लेखाशीर्षक के मानक मद के नामे डाला जायेगा तथा बी0एम0–9 के कॉलम 1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–345(P)/XXVII–3–2012–13, दिनांक 28 मार्च, 2013 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोक्त

भवदीय,

(धर्मेन्द्र पयाल)
अनु सचिव।

संख्या– 460(1)/XXVIII–5–2013–08/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
(2) महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेरॉय बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
(3) निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून/कोषाधिकारी, चमोली।
(5) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
(6) बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
(8) गार्ड फाईल।

(धर्मेन्द्र पयाल)
अनु सचिव।